

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2015/ 857

दिनांक:- 16/11/15

कार्यालय आदेश


संचालक मण्डल की 227वीं बैठक दिनांक 28.09.15 में मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक कार्यवाही दिनांक 17.06.15 की पुष्टि की गई है। सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 17.06.15 के निर्णय बिन्दु संख्या 13 के अनुसार मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटित प्लिन्थ स्तर के व्यावसायिक एवं आवासीय भूखण्ड/स्केलटन स्ट्रेक्चर के आवंटन के पश्चात् 10 वर्ष पश्चात् भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर अवधि बढ़ाने के संबंध में जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2013/768 दिनांक 12.08.2013 में आशिक संशोधन करते हुये भविष्य में ऐसे प्रकरणों को संचालक मण्डल बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष महोदय को निर्णय हेतु अधिकृत किया जाता है।



आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु), प्रथम/द्वितीय/निदेशक(विधि)/ मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/(मु)राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त-..... जयपुर राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-..... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. ✓ संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, /नागरीक सेवा केन्द्र, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



मुख्य सम्पदा प्रबंधक